राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 17 जून, 1989 को प्रातः 10.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के. एन. नाग	अध्यक्ष
2. श्री एम. एल. मेहता	
3. श्री सी. एस. राजन	
4. श्री के. एम. मेहता	
5. श्री राम गोपाल चौधरी	
6. डा. आर. एस. परोदा	
7. डा. आर. सी. मेहता	
8. डा. एस. एस. आचार्य	
9. डा. पी. एन. मेहरोत्रा	
10. डा. एन. एल. अग्रवाल	
11. श्री एस. आर. चौधरी	
12. श्री खुशहाल सिंह	सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्ज्वल
2. श्री . के एस. माथुर
3. श्री एस. पी. पुरोहित
4. डा. जे. एस. भाटिया

डा. पी. डी. शर्मा और डा. एस. एन. सक्सेना (निदेशक, कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा) द्वारा बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की हैं ।

बैठक के प्रारम्भ में श्री सी. एस. राजन, निदेशक, कृषि विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रथम बार बैठक में भाग लेने पर कुलपति ने उनका स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि उनका सहयोग विश्वविद्यालय की प्रगति में बराबर मिलता रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/140

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 25.3.89 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की जाय :

मद संख्या 139(अ) अधिष्ठाताओं एवं निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में गठित उप समिति में प्रो. एम. वी. माथुर के स्थान पर डा. शिवनाथ सिंह कपूर का नाम जोड़ा गया । इसी अतिरिक्त विचार विमर्श के पश्चात उप समिति के सहवृत सदस्य के रूप में डा. आर. एस. परोदा को मनोनीत किया गया । एवं डा. आर. एस. परोदा ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की ।

.....2.

मद संख्या 139 (बी) विश्वविद्यालय के विकास के लिए संबंधी योजना का प्रारूप दो भागों में तैयार किया जाय (अ) लघु विकास योजना (ब) दीर्घ कालिक विकास योजना । कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की आठवीं योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है विश्वविद्यालय ने दीर्घ कालिक कार्यक्रम के लिये पहल कर रखी है और निकट भविष्य में रूप रेखा तैयार हो सकेगी । डा. परोदा का विचार था कि प्रारूप तैयार करते समय विश्वविद्यालय को अपनी आवश्यकताओं को दो भागों में बांटते हुए प्रयोरिटिज के आधार पर तैयार करना चाहिये । श्री एम. एल. मेहता का विचार था कि प्रारूप में आवश्यकताओं को परिलिक्षित करते समय यह भी विचार करना चाहिये कि आवश्कतायें बहुत ज्यादा बढ़ी चढ़ी न हों ताकि अनुदानित्रंत संस्थाओं को वह अतिशयोक्तिपूर्ण न लगे जिससे प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करने में कठिनाइयां उत्पन्न हों । श्री के. एम. मेहता का विचार था प्रारूप तैयार करते समय लघु कालिक (पंचवर्षीय) एवं दीर्घ कालिक (10-15 वर्ष) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाय । प्रारूप तैयार होने पर एक विशेष बैठक मण्डलकी इसके विचार के लिये आयोजित की जानी चाहिये ।

डा. ... परोदा द्वारा दिनांक 24. 11. 88 की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार जो परिसंपत्तिया सुखाडिया विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित की जानी थीं उनकी प्रगति के लिये भारतिय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से चिन्ता (कन्सर्न) व्यक्त किया और जोर दिया कि स्थानान्तरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाय । मद संख्या 132 सहायक आचार्य पौध व्याधि श्री जी. एल. कुम्हार के स्थान पर श्री जी. आर. कुम्हार पढ़ा जाय ।

राकृवि/प्रबो-12 दिनांक 25. 3. 89 की बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति पर
89-5/141 विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

मद संख्या 131 (अ) में जो विद्यावाचस्पति की उपाधि शोध ग्रन्थ के माध्यम से दी जाने हेतु एक समिति गठित की गई थी उसका प्रतिवेदन लगभग तीन माह तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः अब 15 दिन में प्राप्त कर लिया जाय ।

मद संख्या 135 कृषि उत्पादन सचिव द्वारा यह इंगित किया गया कि फिलहाल इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाय क्योंकि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र कोई निर्णय ले रही है ।

......3.

राकृवि/प्रबो-12/89-5/142 विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया विश्वविद्याल द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों की पुष्टि की जाय ।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/143 माह अप्रैल, मई-जून में आयोजित विभिन्न पदों हेतु चयन समिति की सिफारिशें पटल पर रखी गई । विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय ।

दिनांक	विषय	पद	पत्याशि का नाम	विवरण
15.4.89	सोइल साइंस	सह. आचार्य	डा. (श्रीमति) मुकुलरानी मैत्री	वि. वि. नि.
			डा. मेघ सिंह	" "
			डा. एस. पी. मजुमदार	" "
			डा. (श्रीमति) ए. गुप्ता	" "
			डा. बी. आर. छीपा	" "
15.4.89	सोइल साइंस	आचार्य	डा. रामदेव	" "
			डा. एल. एल. सोमानी	" "
			डा. फतहकरण	" "
16.4.89	प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनेटिक्स	आचार्य	डा. गोपाल शरण शर्मा	" "
			डा. के. एल. व्यास	" "
			डा. राजेन्द्र प्रसाद भारद्वाज	" "
			डा. राधेश्याम त्रिपाठी	" "
			डा. राम वल्लभ महेश्वारी	" "
17.4.89	रिनूएबल एनर्जी	सहायक आचार्य	श्री जितेन्द्र कुमार गौड़	न्यूनतम वेतन
			श्री विरेन्द्र कुमार विजय	" "
17.4.89	एग्रोनोमी	आचार्य	डा. एन. एल. मीना	मूल वेतन प्रोजेक्ट
			डा. गोवर्धन सिंह	वि. वि. नि.
18/19.4.1989	एग्रोनोमी	सह आचार्य	श्री एम. पी. साहू	न्यूनतम वेतन
			डा. पी. एल. मालीवाल	" "
			डा. वेद सिंह	" "
			डा. डी. एस. भाटी	" "
			श्री सी. एल. देशवीर	" "
			डा. जी. एल. यादव	" "
			श्री आर. पी. जाँगीड़	" "
			श्री अशोक चौहान	" "
			श्री गणपत सिंह	" "
			डा. आर. सी. तिवाडी	" "
			श्री ओ. पी. गिल	" "
			श्री हनुमान प्रसाद	" "
			श्री जी. एन. परिहार	" "
			श्री. के. एल. पनिया	" "
			डा. जी. एसी. आमेटा	" "

27.4.89	माईनिंग इंजिनियरिंग	सहायक आचार्य	श्री अनुपम भटनागर	न्यूनतम वेतन
			श्री राहुल शर्मा	" "
28/29.4.89	प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनेटिक्स	सह आचार्य	डा. शिवरतन मालू	वि.वि.नि.
			डा. एस.एल. गोदावत	" "
			डा. ई.वी.डी. शास्त्री	" "
			डा. डी.के. सक्सेना	" "
			डा. (मिसेज) रेखा माथुर	" "
			डा. एस.सी. भार्गव	" "
			डा. एस.एन. सोडानी	" "
29.4.89	चाइल्ड डवलपमेंट	सह आचार्य	डा. (श्रीमति) प्रभा जैन	" "
20/30.4.89	प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेंटिक्स	सहायक आचार्य	डा. सत्य नारायण शर्मा	" "
			श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत	" "
			श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	" "
			डा. सुरेन्द्र सिंह	" "
			डा. के. राम कृष्णन	" "
			श्री सत्य प्रकाश शर्मा	" "
			डा. सत्यवीर सिंह महला	" "
			श्री प्रमोद रोकड़िया	" "
			श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	" "
			डा. चालू राम रन्वाह	" "
			श्री दुर्गादास सैनी	" "
			श्री राम अवतार शर्मा	" "
			श्री सतीश कुमार जोशी	" "
			श्री रणवीर सिंह	" "
			श्री राजेश पाण्डे	" "
			श्री राधेश्याम सैन	" "
			श्री ओम प्रकाश खेदार	" "
			श्री अजीत सिंह शेखावत	" "
			डा. सर्वजीत सिंह	" "
			श्री मदन मोहन शर्मा	" "
			श्री उम्मेद सिंह शेखावत	" "
			श्री वगदा राम चौधरी	" "

13.5.89	प्लान्ट फिजियोलोजी	सह आचार्य	डा. टी. एन. नाग	वि. वि. वि.
14.5.89	एन्टोमोलोजी	सह आचार्य	डा. एम. एम. शर्मा	" "
			श्री पी. एम. कांवत	" "
15.5.89	एन्टोमोलोजी	सहायक आचार्य	डा. सुश्री बीना श्रीवास्तव	" "
			डा. प्रान मेहरोत्रा	" "
			डा. गिरीश ए. चन्दीरामानी	" "
			डा. के. के. भार्गव	" "
			श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	" "
			श्री अशोक भटनागर	" "
			श्री कमल किशोर भाटी	" "
			श्री श्री रामसिंह यादव	" "
			श्री वी. के. अग्रवाल	" "
			श्री सरदार सिंह बारहठ	" "
			श्री भैरू सिंह राना	" "
			श्री के. एन. ओझा	" "
			श्री जी. के. भार्गव	" "
			श्री चौखाराम	" "
28/29.5.89	सोइल साइंस	सहायक आचार्य	डा. दिनेश कुमार पारीक	" "
			डा. बलबीर सिंह यादव	" "
			डा. हेमन्त कुमार मिश्रा	" "
			डा. पेभा राम केमरिया	" "
			डा. चन्द्रा देव	" "
			डा. रतनलाल सुवालका	" "
			डा. सुनील कुमार शर्मा	" "
			श्री भंवरलाल कुमावत	" "
			श्री इन्द्रजीत गुलाटी	" "
			श्री राजेन्द्र सिंह चावड़ा	" "
			श्री कैलाश चन्द्र लढढा	" "
			श्री नित्यानंद शर्मा	" "
			श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी	" "
			श्री रघुवीर सिंह मनोहर	" "
			श्री हरीशंकर पुरोहित	"

........6.

	सोइल साइंस	सहायक आचार्य	श्री अमीलाल बाबेल	वि. वि. सि.
			श्री भैरूलाल	" "
			श्री अशोक कुमार माथुर	" "
			श्री गौर मोहन माथुर	" "
			श्री श्री राम शर्मा	" "
30/31. 5. 89	एग्रोनोमी	सहायक आचार्य	श्री अभय कुमार	" "
			डा. हरनामसिंह एन. सेठी	" "
			श्री अशोक कुमार गुप्ता	" "
			श्री राजेन्द्र सिंह	" "
			श्री गोपाल लाल यादव	" "
			श्री परवेश कुमार शर्मा	" "
			श्री शक्ति कुमार शर्मा	" "
			श्री बी. एस. राठोड़	" "
			श्री वीरेन्द्र नेपालिया	" "
			श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	" "
			श्री योगेन्द्र कुमार	" "
			श्री चन्द्र प्रकाश	" "
			श्री दौलत सिंह राव	" "
			श्री दीन दयाल शर्मा	" "
			श्री हनुमान सहाय शर्मा	" "
			श्री ओम प्रकाश शर्मा	" "
			श्री विद्याधर	" "
			श्री सत्य कुमार सिंह	" "
			श्री जेरोम एक्स मेसी	" "
			श्री शंकर सिंह खंगरोट	" "
			श्री ईश्वर सिंह	" "
			श्री अमर सिंह	" "
			श्री दिलीप सिंह	" "
			श्री कैलाश दान खिडियां	" "
			श्री प्रमोद दशोरा	" "
31. 5. 89	वेटेनरी एनोटोमी	सहायक आचार्य	श्री प्रहलाद सिंह सन्धु	" "
30. 5. 89	वेटेनरी फिजियोलोजी	सहायक आचार्य	डा. (श्रीमति) नलीनी कटारिया	" "

........7.

1. 6. 89	. . . .	सह निदेशक (वेटेनरी)	डा. एच. के. गुप्ता	नि. दि. नि.	
1. 6. 89	वे. मेडीसन	सहायक आचार्य	श्री राकेश राव	"	"
			श्री सुधीर कुमार टी. बोरीकर	"	"
			श्री दिनेश कुमार विहानी	"	"
			श्री अकबर अलि गोड	"	"
			श्री राजेश कुमार सिंह	"	"
1. 6. 89	डेरी बैक्टीरियोलोजी	सहायक आचार्य	श्री के. सुधीर बाबू	"	"
2. 6. 89	सिविल इंजीनियरिंग	सहायक आचार्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद अरोड़ा	"	"
			श्री संदीप भार्गव	"	"
2. 6. 89	एफ. एस. एण्ड प. ई.	सह आचार्य	श्री घनश्याम तिवाड़ी	"	"
3. 6. 89	एल. पी. एम	सहायक आचार्य	श्री सुभाष चन्द्र गोस्वामी	"	"

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/144

डूँगर कॉलेज बीकानेर का कृषि शिक्षा कार्यक्रम एवं महारानी सुदर्शना कॉलेज बीकानेर का गृह विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम को इस विश्वविद्यालय में समालीन करने के लिए प्राप्त टिप्पणी पर विचार किया गया ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि
(अ) कुलपति स्थिति व आवश्यकताओं के अनुसार अस्थाई व्यवस्था करें ताकि पठन पाठन कार्यक्रम ठीक तरह से चले
(ब) राज्य सरकार को भेजे गये प्रारूपों को वित्त नियंत्रक प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करे जो कि बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/145

कृषि उत्पादन सचिव, राज्य सरकार जयपुर के साथ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 88 में प्रस्तावित योजना पर वितीय प्रावधान एवं महत्ता पर विचार विमर्श के पश्चात जो टिप्पणी प्रस्तुत की गई पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि टिप्पणी को अलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/146

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 5(3) शिक्षा/4/87 दिनांक 25. 11. 87 की अनुपालना में सु खाडिया विश्व - विद्यालय उदयपुर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्थानान्तरित एवं अंतिम रूप से समायोजित कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ के बारे में दिनांक 11 मई, 1989 को हुई बैठक के कार्यवृत के अनुसार प्रदान किसे जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी समायोजित किये जा चुके हैं उनको लाभ नियमानुसार प्रदान करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बाकी बचे कर्मचारियों को, जो कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर व राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्वेच्छा से समायोजन चाहते हैं उनके बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाय ।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/147

अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्र कर्ण कृषि ~~न~~ महाविद्यालय, जोबनेर के पत्र क्रमांक 5129 दिनांक 5.4.89 जिसमें कि भारत कनाड़ा यूथ एक्सचेन्ज कार्यक्रम 1989-90 रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा एक प्रोजेक्ट कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति चाही है का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाय कि विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं रहेगा एवं शिक्षा विभाग, राज्य सरकार व एन.सी.सीः द्वारा समस्त आर्थिक भार वहन किया जावेगा।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/148

सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ राजस्थान लि. उदयपुर की सी.टी.ए.ई. उदयपुर में चल रही शाखा के उपयोग हेतु विश्वविद्यालय को भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध करवाने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय और भू सम्पति अधिकारी की देखरेख में कार्य सम्पन्न किया जाय तथा भवन निर्माण पूर्ण होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मूल्यांकन करवा कर किराया तय किया जाय जो कि बैंक को मान्य होगा।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/149

स्वर्गीय श्री डी.के. माथुर के अनुदानित राशि के द्वारा स्वर्ण पदक एवं छात्रवृति संबंधित गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि 12000/- रूपये छात्रवृति व 5000/- रू. पदक हेतु रखे ~~xxx~~ जायेंगे। इन्हें स्पष्ट कर दिया जाय।

---9.

राकृवि/प्रबो-12/89-5/150 श्रीमती डा. सुमन रानी भटनागर, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के अवैतनिक अवकाश में दिनांक 16.5.89 से 31.5.91 तक (2वर्ष व 16 दिन) स्वीकृत किये जाने पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/151 श्री पी.डी. स्वामी, सहायक आचार्य, कृषि विज्ञान केन्द्र बीछवाल के प्रार्थना पर जिसमें कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान के सन्दर्भ में निवेदन किया है कि उन्हें अर्ध वेतन के बजाय पूर्ण वेतन दिया जाय पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक अवकाश पर जाने वाले व्यक्तियों को शैक्षणिक अवकाश की शेष अवधि में वही वेतन दिया जाय जो वह शैक्षणिक अवकाश स्वीकृति पर प्राप्त कर रहे थे और अब 1986 के पुनर्क्षित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत पुनर्क्षित वेतनमान (रिवाइज्ड यू.जी.सी. पे. स्केल) के बाद में शैक्षणिक अवकाश प्राप्त करने वालों हेतु निर्णय लिया गया कि वह जो प्रारम्भिक वेतन (बेसिक पे) प्राप्त कर रहे थे उसका आधा वेतन ही स्वीकृत किया जाय। अन्य विश्वविद्यालयों से भी इसका स्पष्टीकरण मंगा लिया जाय।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/152 विश्वविद्यालय मे जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचलित ग्रुप सेविंग लिन्कड बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि यह लाभकारी योजना इस विश्वविद्यालय में भी प्रारम्भ की जाय। इसके लिए कर्मचारियों से विकल्प भरवा लिये जावे और यह योजना भविष्य में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों परअनिवार्य रूप से लागू की जाय।

राकृवि/प्रबो-12/89-5/153 श्री रणजीत सिंह सेवा निवृत मुख्य लेखाधिकारी जो कि वर्तमान में विशेषाधिकारी, उदयपुर केम्पस में कार्यरत हैं की सेवायें अनुबंध के आधार पर अग्रिम छः माह के लिए और बढ़ायी जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

विचार विमर्श के पश्चात कार्य की महत्ता को देखते हुए निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/154

श्रीमती डा. पूनम अग्रवाल सहायक आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर की दिनांक 11.5.88 से 15.1.1989 तक अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि अवैतनिक अवकाश तो स्वीकृत किया जाय, साथ ही उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उनको एक चार्जशीट (आरोप पत्र) दिया जाय।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/155

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/ आचार्य एवं अन्य अधिकारियों जिनके लिए कि विश्वविद्यालय आवास की सुविधा उदिष्ट (इयर मार्कड) है और इस विश्वविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदान नहीं कराई गई है उन्हें 1500/- रू. मासिक किराये तक की आवास सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि अधिकारियों व कर्मचारियों जिनके लिए विश्वविद्यालय आवास उदिष्ट (इयर मार्कड) किया गया है और बीकानेर में यह सुविधा सुलभ नहीं करा पाई है को पद के अनुसार 1500/- रू. मासिक किराये तक की आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर / व अन्य विश्वविद्यालयों से विकल्प पर बीकानेर में पदस्थापन हुए हैं उन्हें भी पदानुसार यह सुविधा दी जाय। परन्तु लाभ उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें कि पूर्व में कोई सरकारी विश्वविद्यालय की आवास सुविधा उपलब्ध थी।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/156

श्री एम.एस. गोधारा, भूतपूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी के लिए एक अधिसंख्यक पद सृजित किये जाने व उन्हें 30.11.77 से 31.3.85 तक 1900-2200 के वेतनमान में वेतन निर्धारण कर भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय और भुगतान करने के पश्चात राज्य सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाय।

--- 11.

परीक्षा

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/157 परीक्षैा नियंत्रक द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से अन फेयर मीन्स समिति की दिनांक 25.5.89 की बैठक की सिफारिशों से अवगत कराया गया जिसके अनुसार बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. द्वितीय वर्ष 1988 की परीक्षा में सात परीक्षार्थियों को उनके द्वारा अनुचित तरीके अपनाने तथा अनुशासनहीनता के कारण वर्तमान परीक्षा निरस्त की गई है पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सिफरिशों का अनुमोदन किया जाय।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/158 डा. बी. एस. यादव, आचार्य, निमिटोलोजी विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर जो कि 30.6.89 को सेवा निवृत हो रहे हैं। अधिष्ठाता ने उन्हें कार्य के महत्व को देखते हुए सेवा वृद्धि का प्रस्ताव किया है पर विचार किया गया।
विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि डा. यादव की सेवायें विशेष महत्वपूर्ण होने के कारण जब तक क्यूनक्यूनियल टीम निरीक्षण करें तब तक अथवा चार माह जो भी पहले हो तक पुनः नियुक्ति प्रदान की जाय।

राकृवि/प्रबो-12/ 89-5/159 राकृवि/प्रबो-9/89-2/123 के द्वारा डा. एन. एन. गोस्वामी अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं सह निदेशक कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत विभिन्न चयन समितियों में बोर्ड के सदस्य के रूप में मनो मनोनयन के पश्चात डा. गोस्वामी के चयन समितियो में उपस्थित नहीं होने में असमर्थता मई 1989 के पत्र द्वारा भेजी। उनके स्थान पर श्री के. एम. मेहता, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड का नाम प्रस्तावित किया गया।
विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि डा. एन. एन. गोस्वामी के स्थान पर श्री के. एम. मेहता सदस्य प्रबन्ध बोर्ड का नाम मनोनीत किया गया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

केदार नाथ नाग 28/7/89
(डा. के. एन. नाग)
अध्यक्ष

(खुशहाल सिंह)
सदस्य सचिव